MADHAV UNIVERSITY
(Established by the Rajasthan State Govt. Legislature Act No. 07 of 2014 and
Approved by State Govt., UGC, AIU, AYUSH, PCI, BCI, NCTE, RCI, NCH, RPC, RNC)
Accredited with 'A' Grade by NAAC

Regarding Territorial & Operational Jurisdiction of MU Open and Distance Learning (ODL) Activities

Madhav University, Pindwara (Sirohi) is a Private University established by Act. No. 07 of 2014 and as per Section 1 (2) of the Act "It extends to the whole of the state of Rajasthan". However, MU offers programmes under Open and Distance Learning (ODL) mode through its Head Quarters only and University does not have any Learning Support Center or campuses for offering ODL programmes.

This is also to certify that MU operates all its academic operational activities, including conduction of End Term Examination and Personal Contact Program (PCP) classes from its Head-Quarters only.

MU is committed to follow all the regulations notified by UGC-DEB.

Dr. Bhawesh Kumawat
REGISTRAR
Registrar
Madhav University

Registrar
Madhav University

N.H. - 27,
P. O. - Bharla (Abu Road),
Tehsil - Pindwara, Distt. - Sirohi (Raj.) - 307032
Contact No. - 9875028991, 92, 93, 94, 95 Email: madhavuniversity@gmail.com, Web: www.madhavuniversity.edu.in

	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 13, मंगलवार, शाके 1935–मार्च 4, 2014 *Phalguna 13, Tuesday, Saka 1935–March 4, 2014*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 4, 2014

संख्या प. 2 (8) विधि/2/2014–राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 3 मार्च, 2014 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 7)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 3 मार्च, 2014 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

यतः, विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर अद्यतन शैक्षणिक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है जिससे उन्हें विश्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से संगत बनाया जा सके;

और यतः, ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और मानव संसाधनों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं से यह आवश्यक हो गया है कि शैक्षणिक अनुसंधान और विकास की ऐसी संसाधनपूर्ण और त्वरित और उत्तरदायी प्रणाली सृजित की जाये जो एक आवश्यक विनियामक व्यवस्था के अधीन उद्यमतापूर्ण उत्साह से कार्य कर सके और ऐसी प्रणाली, उच्चतर

शिक्षा में कार्यरत पर्याप्त संसाधन और अनुभव रखने वाली प्राइवेट संस्थाओं को विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए अनुज्ञात करने से और ऐसे विश्वविद्यालयों को ऐसे विनियामक उपबंधों से, जो ऐसी संस्थाओं के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करें, विनियमित करने से सृजित की जा सकती है;

और यतः, मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट, लाडो, पोस्ट आफिस सुलतानपुर, कुमारहट्टी, सोलन (हिमाचल प्रदेश), जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अधीन उप रजिस्ट्रार, सोलन (हिमाचल प्रदेश) के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण सं. 1227/2006, दिनांक 2-11-2006 पर रजिस्ट्रीकृत एक ट्रस्ट है जो शिक्षा के क्षेत्र में लगा हुआ है और विगत चार वर्षों से एक निजी विश्वविद्यालय अर्थात् मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश) को चला रहा है;

उक्त मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट, लाडो, पोस्ट आफिस सुलतानपुर, कुमारहट्टी, सोलन (हिमाचल प्रदेश) ने राजस्थान राज्य के ग्राम भुजेला और वाड़ा, तहसील पिंडवाड़ा, जिला सिरोही में अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की शैक्षिक अवसंरचनाएं स्थापित कर ली हैं और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय में उक्त अवसंरचना का विनिधान करने के लिए सहमत हो गया है और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि की स्थापना में उपयोजित किये जाने के लिए एक करोड़ रुपये की रकम भी जमा करा दी है;

और यतः, उपर्युक्त अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त समिति द्वारा कर ली गयी है जिसके सदस्य कुलपति, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा राजस्थान, जयपुर, संकायाध्यक्ष, प्रबन्धन संकाय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, प्राचार्य, रवीन्द्रनाथ टैगोर चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर और निदेशक, प्रौद्योगिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर थे;

और यतः, यदि उपर्युक्त अवसंरचना का उपयोजन विश्वविद्यालय के रूप में निगमन में किया जाता है और उक्त मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट, लाडो, पोस्ट आफिस, सुलतानपुर, कुमारहट्टी, सोलन (हिमाचल प्रदेश) को विश्वविद्यालय चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो इससे राज्य की जनता के शैक्षणिक विकास में योगदान होगा;

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह 25 सितम्बर, 2013 को और से प्रवृत हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अ.भा.त.शि.प." से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "वै.औ.अ.प." से केन्द्रीय सरकार की वित्तपोषण एजेन्सी-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली अभिप्रेत है;

(ग) "दू.शि.प." से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 50) की धारा 28 के अधीन स्थापित दूरस्थ शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(घ) "दूरस्थ शिक्षा" से संचार अर्थात् प्रसारण, टेलीकॉस्टिंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किसी भी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गयी शिक्षा अभिप्रेत है;

(ङ) "वि.प्रौ.वि." से केन्द्रीय सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अभिप्रेत है;

(च) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय में कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं;

(छ) "फीस" से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से किया गया संग्रहण, जिसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है, जो प्रतिदेय नहीं है;

(ज) "सरकार" से राजस्थान की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(झ) "उच्चतर शिक्षा" से 10+2 स्तर से ऊपर ज्ञान के अध्ययन के लिए पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(ञ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं या केन्द्रों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में संधारित या मान्यताप्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

(ट) "भा.कृ.अ.प." से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अभिप्रेत है;

(ठ) "भा.आ.प." से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं.102) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अभिप्रेत है;

(ड) "रा.नि.प्र.प." से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था-राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्, बंगलोर अभिप्रेत है;

(ढ) "रा.अ.शि.प." से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 73) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(ण) "निवेश बाह्य केन्द्र" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य निवेश के बाहर स्थापित उसका, उसकी घटक इकाई के रूप में

(za) "University" means the Madhav University, Pindwara (Sirohi).

3. Incorporation.- (1) The first Chairperson and the first President of the University and the first members of the Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of the Madhav University, Pindwara (Sirohi).

(2) The movable and immovable property specified in the Schedule-I shall be vested in the University and the Sponsoring Body shall, immediately after the commencement of this Act, take steps for such vesting.

(3) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(4) The University shall situate and have its headquarters at Village Bhujela and Wada, Tehsil Pindwara, District Sirohi (Rajasthan).

4. The objects of the University.- The objects of the University shall be to undertake research and studies in the disciplines specified in Schedule-II and such other disciplines as the University may, with the prior approval of the State Government, determine from time to time and to achieve excellence and impart and disseminate knowledge in the said disciplines.

5. Powers and functions of the University.- The University shall have the following powers and functions, namely:-

(a) to provide for instruction in the disciplines specified in Schedule-II and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge;

(b) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates, and confer degrees or other academic distinctions on the basis of

1	2
Control System Laboratory	1
Electrical Machines Laboratory	1
Physics Laboratory	1
Chemistry Laboratory	1
Electrical Laboratory	1
Drawing Laboratory	1
Language Laboratories	2
Biotechnology Laboratory	1
Networking Laboratory	1
Total	**17**

5. **Facilities for Co-curricular activities:**

Indoor Facilities:

Carrom
Chess
Table Tennis

Outdoor Facilities:

Athletics
Basketball
Volleyball
Yoga and Meditation

SCHEDULE – II

Disciplines in which University shall undertake study and research:

1. Engineering and Technology
2. Architecture and Planning
3. Computer Science and Applications
4. Basic and Applied Sciences
5. Management
6. Commerce, Business and Economics
7. Humanities and Social Sciences

8. International Trade and Commerce
9. Law
10. Pharmacy
11. Education
12. Library Science and Informatics
13. Journalism, Mass Communication and Media
14. Healthcare including Medical, Dental, Pharmaceutical Sciences, Ayurved, Naturopathy, Homoeopathy, Veterinary, Physiotherapy, Biotechnology, Medical Sciences, Paramedical and Nursing
15. Hospitality, Travel and Tourism
16. Physical Education
17. Arts and Crafts
18. Home Science
19. Agriculture

प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

68
Government Central Press Jaipur.